

न्यायालय:- अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

समक्ष डी०सी०थपलियाल

प्रकरण क्रमांक 79/2015 वैवाहिक

श्रीमती अखलेश आयु 26 साल पुत्री स्व०
बच्चूसिंह जाट पत्नी श्री भारतसिंह राणा निवासी
ग्राम राजाखेडा, जिला धोलपुर राजस्थान हाल
निवासी ग्राम चमेडी थाना मौ तहसील गोहद
जिला भिण्ड म०प्र०

-----आवेदिका

बनाम

भारतसिंह आयु 47 साल पुत्र स्व० श्री नन्हे सिंह
जाति जाट ठाकुर निवासी ग्राम कीरतपुरा थाना
आंतरी, तहसील डबरा जिला ग्वालियर हाल
निवासी ग्राम श्यामपुर थाना भितरवार जिला
ग्वालियर म०प्र०

----- अनावेदक

आवेदक द्वारा श्री के०सी०उपाध्याय अधिवक्ता ।
अनावेदिका पूर्व से एक पक्षीय ।

//नि र्ण य//

//आज दिनांक 25-04-2016 को घोषित किया गया //

01. याचिकाकर्ता/आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है जिसमें याचिकाकर्ता/आवेदिका ने प्रतियाचिकाकर्ता/अनावेदक के साथ सम्पन्न हुआ विवाह वर्ष 2004 को विघटित किये जाने का निवेदन करते हुये याचिका पेश की है ।
02. याचिकाकर्ता/आवेदिका का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि उसका विवाह वर्ष 2004 में हिन्दू रीति रिवाज से ग्राम राजाखेडा जिला धोलपुर में सम्पन्न हुआ था। आवेदिका एवं अनावेदक के संसर्ग से दो पुत्र पैदा हुये जिसमें बड़े पुत्र का नाम संयकी 7 वर्ष तथा छोटे पुत्र का नाम आशु आयु 5 वर्ष है। अनावेदक शराब पीने का आदी है जो आए दिन शराब के नशे में रहता है और उसकी अत्यधिक मारपीट कर भूखों रखता है। जिस कारण

आवेदिका का अनावेदक के साथ रहना दूभर था फिर भी आवेदिका सब सहन करते हुये अपने पति धर्म का पालन करती रही लेकिन अनावेदक के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। आवेदिका कई महीनों तक भूखों रहकर अपने पति के घर रहकर बच्चों की देखभाल करती रही।

03. आवेदिका ने अपने आवेदनपत्र में आगे यह भी बताया है कि आज से करीब ढाई वर्ष पूर्व अगहन के महीने में अनावेदक ने आवेदिका को मारपीट कर केवल पहने हुये कपड़ों में घर से बाहर निकाल दिया। जबसे आवेदिका मजबूरन ग्राम चम्हेडी में अपने रिस्तेदार के यहां निवास कर रही है। आवेदिका के माता पिता जीवित नहीं है जो कि आवेदिका की शादी के पूर्व फोटो हो चुके थे। आवेदिका की शादी के समय वह नावालिग थी और अनावेदक की उम्र अधिक थी इस कारण वह अपना भला बुरा नहीं समझ पायी थी। अनावेदक ने अपने दोनों पुत्रों को अपने पास रखकर आवेदिका को बेरहमी से मारपीट कर घर से बाहर निकाला है। तब से आवेदिका व अनावेदक के बीच कोई दाम्पत्य संबंध स्थापित नहीं हुये हैं। इस कारण न्यायालय का ही क्षेत्राधिकार होना बताते हुये विवाह वर्ष 2004 को विघटित घोषित किये जाने और अन्य सहायता वाबत् याचिका पेश की है।

04. अनावेदक न्यायालय के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड संमंस कई बार भेजे गये किन्तु रजिस्टर्ड नोटिस की तामीली उपरांत भी अनावेदिका उपस्थित नहीं हुयी है जिस कारण उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है।

05. आवेदिका/याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत याचिका के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय है कि:-

- 1- क्या आवेदिका अनावेदक की विवाहिता पत्नी है ?
- 2- क्या अनावेदक के द्वारा आवेदिका के प्रति क्रूरता किया गया?
- 3- क्या अनावेदक के द्वारा आवेदिका का परित्याग किया गया है ?
- 4- क्या आवेदिका विवाह विच्छेद की डिक्री पाने की अधिकारी है ?

// निष्कर्ष के आधार //

06. आवेदिका को वर्तमान याचिका पेश करने के क्षेत्राधिकार के संबंध में सर्वप्रथम विचार किया गया। आवेदिका के द्वारा अपने आवेदनपत्र एवं साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि पति के द्वारा प्रताड़ना के फलस्वरूप वह स्वयं व अपने बच्चों सहित ग्राम चम्हेडी थाना मौ अपने रिस्तेदार के यहाँ रह रही है। इस संबंध में याचिकाकर्ता के द्वारा आधारकार्ड पेश किया गया है जो प्र.पी. 1 है और की प्रतिलिपि प्र.पी. 1सी है। उक्त आधारकार्ड में भी आवेदिका का वर्तमान निवास ग्राम चम्हेडी पोस्ट पाली डिमरन, थाना मौ, तहसील गोहद वर्णित है और इस बिन्दु पर आवेदिका साक्षी नीतेन्द्र के द्वारा भी आवेदिका को वर्तमान में ग्राम चम्हेडी में

उसके यहाँ रहना बताया है और आवेदिका साक्षी कल्याण के द्वारा भी ग्राम चम्हेडी में आवेदिका के निवासरत होना बताया है। इस प्रकार वर्तमान में याचिका पेश करते समय आवेदिका ग्राम चम्हेडी तहसील गोहद में निवास करना प्रमाणित होता है। इस परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

07. आवेदिका के अनावेदक की विवाहिता पत्नी होने का प्रश्न है, इस बिन्दु पर आवेदिका श्रीमती अखिलेश के द्वारा वर्ष 2004 में हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार उसका विवाह अनावेदक के साथ होना बताया है। इस बिन्दु पर आवेदिका साक्षी नीतेन्द्र साक्षी क्रमांक 2 तथा कल्याण साक्षी क्रमांक 3 के द्वारा भी आवेदिका का विवाह अनावेदक के साथ होना एवं उसकी दो संतानें होनी की पुष्टि की है। इस संबंध में आवेदिका एवं उसके साक्षियों के साक्ष्य कथन का कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है। इस प्रकार उक्त अखण्डनीय न्यायालयीन कथन के आधार पर आवेदिका के अनावेदक की विवाहिता पत्नी होना प्रामाणित है।

08. आवेदिका अखिलेश आ0सा01 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि अनावेदक शराब पीने का आदी है जो आए दिन शराब के नशे में रहता है और उसकी अत्यधिक मारपीट कर भूखों रखता है, जिस कारण आवेदिका का अनावेदक के साथ रहना दूभर था फिर भी आवेदिका सब सहन करते हुये अपने पति धर्म का पालन करती रही लेकिन अनावेदक के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। आवेदिका कई महीनों तक भूखों रहकर अपने पति के घर रहकर बच्चों की देखभाल करती रही। आज से करीब ढाई वर्ष पूर्व अगहन के महीने में अनावेदक ने आवेदिका को मारपीट कर केवल पहने हुये कपड़ों में घर से बाहर निकाल दिया। जबसे आवेदिका मजबूरन ग्राम चम्हेडी में अपने रिस्तेदार के यहां निवास कर रही है। आवेदिका के माता पिता जीवित नहीं है जो कि आवेदिका की शादी के पूर्व फौत हो चुके थे। आवेदिका की शादी के समय वह नावालिग थी और अनावेदक की उम्र अधिक थी इस कारण वह अपना भला बुरा नहीं समझ पायी थी। अनावेदक ने अपने दोनों पुत्रों को अपने पास रखकर आवेदिका को बेरहमी से मारपीट कर घर से बाहर निकाला है।

09 आवेदिका के द्वारा किये गये उपरोक्त कथन का समर्थन अन्य साक्षी नीतेन्द्र साक्षी क्रं02 एवं कलियाण अ0सा03 के द्वारा भी अपने साक्ष्य कथन में करते हुये बताया है कि अनावेदक भारतसिंह विवाह के पूर्व से ही शराब पीने का आदी था जो अत्यधिक नशे में रहता है और नशे की हालत में आवेदिका अखिलेश की मारपीट कर प्रताड़ित करता रहता था। किन्तु आवेदिका सब कुछ सहती रही और बच्चों की देखभाल करती रही। करीब तीन वर्ष पूर्व अनावेदक द्वारा आवेदिका को मारपीट कर केवल पहिने हुये कपड़ों में घर से निकाल दिया तब से आवेदिका को मारपीट कर केवल पहिने हुये कपड़ों में घर से निकाल दिया तब से आवेदिका ग्राम चम्हेडी में मजबूरन रहकर अपना जीवन यापन कर रही है। अनावेदक के क्रूर

व्यवहार से आवेदिका का उसके साथ रहना असम्भव हो गया है। आवेदिका के माता पिता जीवित नहीं हैं उनकी मृत्यु आवेदिका की शादी के पूर्व ही हो चुकी थी। अब आवेदिका का अनावेदक के साथ दाम्पत्य जीवन व्यतीत करना सम्भव नहीं है।

10. उपरोक्त बिन्दु पर आवेदिका अखिलेश आवेदिका साक्षी क्रं01 तथा आवेदिका की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी नीतेन्द्र आ0सा0 2 एवं कलियाण आ0सा03 के साक्ष्य कथन का जहां तक प्रश्न है, उक्त साक्षियों का कोई भी प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है। इस प्रकार प्रतिपरीक्षण के अभाव में उक्त साक्षियों के द्वारा किया गया कथन अखण्डनीय रहा है।

11. इस प्रकार आवेदिका पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य जो कि अखण्डनीय रही है, आवेदिका का अनावेदिका की विवाहिता पत्नी होना और उनका विवाह वर्ष 2004 को सम्पन्न होना प्रमाणित है। विवाह के उपरान्त अनावेदक के द्वारा आवेदिका को मारपीट कर कूरता कर उसे घर से निकाल देने का तथ्य भी प्रमाणित पाया जाता है जो कि हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1)(1-क) के अंतर्गत विवाह विच्छेद का आधार है। अनावेदक के द्वारा आवेदिका का बिना उचित कारण दो वर्ष से अधिक समय से परित्याग किया जाना भी प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित होना पाया जाता है जो कि हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1)(1-ख) के अंतर्गत विवाह विच्छेद का आधार है।

12. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों में एवं प्रकृति को देखते हुये एक पक्षीय रूप से स्वीकार योग्य पाया जाता है तथा आवेदिका की याचिका को स्वीकार करते हुये निम्न आशय की आज्ञा पारित की जाती है :-

1. आवेदिका और अनावेदक के मध्य वर्ष 2004 को सम्पन्न हुआ विवाह को बिच्छेदित घोषित किया जाता है। आवेदिका अनावेदक से वैवाहिक संबंधों से मुक्त रहेगी।
2. प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों में आवेदिका अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेगी।
3. अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो देय होगा।

तदनुसार आज्ञा तैयार की जाय।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया

(डी0सी0थपलियाल)
अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

(डी0सी0थपलियाल)
अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0